जनसत्ता

२४ जून, २००४

किसानों के खिलाफ मोंसेंटो

फिलिप कलैट

जीन-संशोधित पदार्थों और खासकर बीटी कॉटन जैसे बीजों का आना विवादों में घिर रहा है। अभी तक बहस जीन-संशोधित बीजों के पर्यावरणीय प्रभावों और कृषि में उनके सफल योगदान और खासकर पैदावार में वृद्धि की उनकी क्षमता पर केंद्रित रही है। बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े मुद्दे अपेक्षया प्रभावी ढंग से सामने नहीं आ पाए हैं।

हाल ही में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने मोंसेंटो बनाम श्मेइसर मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मोंसेंटो ने वनस्पति-तेल देने वाले कैनोला के बीजों का एक ऐसा जीन-संशोधित रूप विकसित किया है जो अधिकतर पौधों को मार डालने वाले राउंड अप रेडी नामक एक वनस्पति-नाशक के प्रभाव से अछूता रहने की क्षमता रखता है। श्मेइसर एक किसान हैं और अनेक वर्षों से कैनोला की खेती कर रहे हैं। उनके कई पड़ोसी किसानों ने मोंसेंटो के इस नए बीज को आजमाने का फैसला किया, पर श्मेइसर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हैरानी की बात है कि श्मेइसर ने राउंड अप रेडी कैनोला नहीं खरीदा था, फिर भी वह उनके खेतों में उगा मिला।

श्मेइसर की जमीन पर जीन-संशोधित यह बीज किसके द्वारा लाया गया, इस बात का अभी अंतिम रूप से पता नहीं लगा है। संभव है कि बीज उड़ कर उनकी जमीन पर आ गए हों या जीन-संशोधित बीजों से परागण हो गया हो। पर अदालत का कहना था कि इन वजहों से उतनी बड़ी मात्रा में बीज नहीं हो सकते जितने श्मेइसर के खेतों में पाए गए। मोंसेंटो ने उन पर मुकदमा कर दिया और दावा किया कि उन्होंने राउंड अप रेडी कैनोला पर उसके पेटेंट अधिकार का हनन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पेटेंट अधिकार का हनन हुआ है। पहले न्यायाधीश ने फैसला किया कि यह केवल मोंसेंटो के पेटेंट अधिकार के हनन का मामला है और उन्होंने जैव सुरक्षा और किसानों के अधिकारों से जुड़े सवालों को मुकदमे के दायरे से बाहर रखा। दूसरे न्यायाधीश ने यह निश्चित करने की कोशिश की कि क्या मोंसेंटो का जीन-संशोधित कोशिकाओं पर पेटेंट अधिकार उसके पौधों पर भी लागू होता है। कनाडा में और भारत में भी स्वयं पौधे और पौधों की भिन्न-भिन्न किस्में पेटेंट के दायरे में नहीं आते। अतः जीन-संशोधित कोशिकाओं और पौधे में स्पष्ट भेद किया जाना बहुत जरूरी है। पर अदालत ने पाया कि जीन समूचे पौधे में मौजूद है, तो दोनों को बिलकुल अलग कर पाना संभव नहीं।

इससे अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि [illegible] श्मेइसर ने अधिकार का उल्लंघन [illegible] न किया हो, पर बीज उनके पास था और वे उसे किसी गैर किसान को बेच सकते थे जो लाइसेंस शुल्क न देना चाहता हो। इन हालात में मोंसेंटो के पेटेंट अधिकार का एक हद तक हनन हुआ है।

व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने पर इस मामले में दो मुद्दे शामिल हैं। श्मेइसर द्वारा मोंसेंटो के पेटेंट अधिकार का हनन और मोंसेंटो द्वारा उनकी जमीन को अपने बीजों से प्रदूषित करना। इसका सबसे न्यायपूर्ण समाधान यही होगा कि पर्यावरण में जीन-संशोधित सामग्री लाने के लिए अधिकृत इकाई को ही उस सामग्री से होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार माना जाए। स्वीडन के जीन प्रौद्योगिकी कानून में हाल ही में इसी समाधान को अपनाया गया है।

यह सवाल भी उठता है कि किसान का अपनी जमीन पर कितना नियंत्रण होता या हो सकता है। इस बात को लेकर कि जमीन में किस तरह की खेती की जाए, अलग-अलग किसान भिन्न-भिन्न फैसले ले सकते हैं। उनमें से कुछ निश्चित ही जैविक खेती करने का फैसला लेंगे। जैविक खेती की परिभाषा ही यह है कि उसमें जीन-संशोधित पौधे नहीं होते, सो जीन-संशोधित बीजों से हुए दूषण के कारण वे किसान बाजार में अपने उत्पाद को जैविक कह कर नहीं बेच पाएंगे। इससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान होगा क्योंकि सामान्यतः जैविक उत्पाद गैर-जैविक के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊंचे दामों पर बिकता है।

तीसरा मुद्दा किसानों के अधिकारों का है। किसानों की दो श्रेणियां बनाई जा सकती हैं- जीन-संशोधित बीज इस्तेमाल करने वाले और न करने वाले। उदाहरण के लिए, जो किसान मोंसेंटो से राउंड अप रेडी कैनोला खरीदते हैं, उन्हें एक प्रौद्योगिकी उपयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने होते हैं जिसके चलते अपने खरीदे गए बीजों पर उनका केवल सीमित नियंत्रण होता है। इन समझौतों को अमेरिका में चुनौती दी गई, लेकिन अदालतों ने पाया कि ये समझौते किसानों को अगर उनके कुछ कानूनी अधिकारों से वंचित भी करते हैं तो इससे अनुबंध रद्द नहीं हो जाता; यह अनुबंध उन्होंने स्वेच्छा से कंपनी के साथ किया था। जबकि इन किसानों को उन बीजों को बचाने और उनका प्रयोग करने का सैद्धांतिक अधिकार होना चाहिए जो उन्होंने खुद उगाए हैं भले ही उनका परागण जीन-संशोधित बीजों से हुआ हो। लेकिन, श्मेइसर का मामला संकेत देता है कि अगर किसी किसान को अपने यहां जीन-संशोधित बीज होने का आभास नहीं है, तो वही जिम्मेदार होगा। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ हुआ कि स्वयं को निर्दोष साबित करने का दायित्व किसान के ऊपर है।

कुल मिलाकर, अगर भारत एक ऐसा स्पष्ट और सुगठित कानूनी ढांचा अपनाता है, जिसमें इस तरह के विवाद की गुंजाइश ही न हो, तो श्मेइसर मामले का उसके लिए कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन फिलहाल उसके कानूनी ढांचे में ऐसे विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं कि भविष्य में श्मेइसर जैसे किसी मामले की कोई संभावना ही न रह जाए।